

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042020-219201 CG-DL-E-27042020-219201

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1236] No. 1236] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2020/वैशाख 7, 1942 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2020/VAISAKHA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 अप्रैल. 2020

का.आ. 1383 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 अप्रैल, 2020 को, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की स्थापना की तारीख के रूप में नियत करती है और उस प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा।

[फा.सं. 3/7/2020-ईएम]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2020

S.O.1383 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby appoints the 27th of April, 2020 as the date of the establishment of the International Financial Services Centres Authority and the head office of that Authority shall be at Gandhinagar, Gujarat.

[F. No. 3/7/2020-EM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

1892 GI/2020 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2020

का.आ. 1384 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:--

क्र.सं.	धारा
1.	धारा 1 से 11 तक को मिलाकर
2.	धारा 14
3.	धारा 15
4.	धारा 16
5.	धारा 27
6.	धारा 29
7.	धारा 30
8.	धारा 34

[फा.सं. 3/7/2020-ईएम] आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2020

S.O. 1384(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby appoints the 27th of April, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Sl. No.	Sections
1.	Section 1 to 11 both inclusive.
2.	Section 14
3.	Section 15
4.	Section 16
5.	Section 27
6.	Section 29
7.	Section 30
8.	Section 34

[F. No. 3/7/2020-EM] ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.